KOLHAN UNIVERSITY
CHAIBASA, WEST SINGHBHUM
Jharkhand, Pin : 833201
Phone No. 06582-255274

Ref. No: KU/R/ 513 /2021

Date: 07/04/2021

कोविड-19 गाइडलाईन

आज दिनांक 07/04/2021 को कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्षों अधिकारियों एवं विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वर्त्तमान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाइडलाईन के अनुसार विश्वविद्यालय एवं सबंधित कॉलेजों में कक्षाएँ तथा अन्य कार्य सम्पादन हेतु निम्नवत् निर्णय लिये गये :

1. दिनांक 07/04/2021 से अगले आदेश तक विश्वविद्यालय एवं सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के ऑफलाईन कक्षाएँ स्थगित रहेगी ।
2. सभी विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य, विभाग तथा कॉलेजों में ऑनलाईन क्लास परिचालन हेतु व्यवस्था करेंगे ।
3. सभी नियमित तथा घंटी आधारित शिक्षक ऑनलाईन क्लास विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में आकर लेना सुनिश्चित करेंगे ।
4. छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना पठन-पाठन का कार्य अपने निवास स्थान से करें तथा ऑनलाईन कक्षाओं में अपनी उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित करेंगे ।
5. सभी नियमित तथा घंटी आधारित शिक्षक प्रत्येक दिनों के ऑनलाईन कक्षाओं के परिचालन से संबंधित विवरणी विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को समर्पित करेंगे और उसी के आधार पर उनके वेतन/मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।
6. B.A./B.Sc./B.Com (H/G/Voc.)-CBCS शैक्षाणिक सत्र 2020-2021 एवं P.G. CBCS शैक्षाण्कि सत्र 2020-2021 की सारी परीक्षाएँ UGC के पूर्ववर्ती SOP के निर्देशानुसार अगले आदेश तक ऑफलाइन मोड में संचालित होंगी ।
7. UG CBCS एवं PG. CBCS की आंतरिक परीक्षाएँ UGC द्वारा पूर्ववर्ती SOP के नियमानुसार केन्द्र पर अथवा ऑनलाईन माध्यम से प्रश्न देते हुए एक निश्चित समय में उसके उत्तर को जमा करने का प्रावधान कर लेना,

महाविद्यालय के विषय विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य के आपसी सहमति से निर्णय लेते हुए सुनिश्चित करेगें ।

8. UG CBCS एवं PG. CBCS की प्रायोगिक परीक्षाएँ संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष/घंटी आधारित शिक्षक/अतिथि शिक्षक अधिकतम 10-10 छात्रों के समूह बनाकर ऑफलाईन मोड के माध्यम से UGC के SOP का पालन करते हुए पूरा करेगें ।

9. Ph.D. Final Viva Examination ऑफलाईन मोड के माध्यम से सिर्फ पाँच अध्यापक 1. संकायाध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष (अध्यक्ष) 3. बाहरी परीक्षक 4. आंतरिक परीक्षक/ सुपरवाइजर 5. DRC के कोई एक सदस्य के साथ UGC के SOP का नियम पूर्वक पालन कराना सुनिश्चित करेगें।

10. सभी पदाधिकारी/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र-छात्राओं को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सुरक्षा हेतु मास्क/सेनिटाईजर/दूरता तथा सरकार द्वारा निर्देशित गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेगें ।

कुलपति के आदेशानुसार
ह0/-
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।

ज्ञापांक :KU/R/513/21　　　　दिनांक :07-04-2021

प्रतिलिपि :

1. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।
2. सभी प्राचार्य/प्र0 प्रचार्य, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।
3. सभी पदाधिकरी, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।
4. कुलपति/प्रतिकुलपति के सहायकों को कुलपति/प्रतिकुलपति सूचनार्थ ।
5. संचिका में ।

7/4/21
(प्रो0 जयन्त शेखर)
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।

R.OFFICE NEW PC SYSTEM/DOCUMENT/A.SINKU/APRIL-2021